

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-1/नियुक्ति-अंग्रेजी/पीएससी/2015 आदेश संख्या 23 दिनांक 20.07.2015 द्वारा क्रम संख्या 15 मेरिट नं० 449 पर अंकित श्री नन्जू कुमार मेहरानिया पुत्र श्री पूरनमल मेहरानिया, वार्ड नं० 14, अम्बेडकर कॉलोनी, नीमकाथाना, सीकर को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि बम्बोरी, जिला प्रतापगढ़ पदस्थापित किया गया था। इनके द्वारा गृह जिले सीकर में पदस्थापन किये जाने बाबत एस.बी.सि. याचिका संख्या 11887/15 दायर की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिये हैं।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन के साथ-साथ एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार एवं एस.बी.सि. याचिका संख्या 2226/14 अन्जू मीणा बनाम सरकार में पारित निर्णय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरियता सूची, रिक्त पदों की स्थिति का अध्ययन विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी के पद की रिक्तियों की विज्ञप्ति राज्य भर के पदों की जारी की गई है तथा चयनित आशार्थियों की वरियता भी राज्य स्तर की जारी की गई है। एस.बी.सि. याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम सरकार एवं एस.बी.सि. याचिका संख्या 2226/14 अन्जू मीणा बनाम सरकार का निर्णय द्वितीय वेतन श्रृंखला (वरिष्ठ अध्यापक) के पद के लिए है।

यह भी पाया गया कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा का पद राज्य स्तर की सेवा का पद है। इस पद पर कार्यरत लोक सेवक की सेवाएँ विभाग द्वारा पूरे राज्य में कहीं भी विद्यालय हित/छात्रहित व राज्य हित में ली जा सकती है। इस आधार पर याचिकार्थी का किया गया पदस्थापन सही व राज्य हित में है। इस आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/एसबीसि.या.सं. 11887/नन्जू कुमार/2016

दिनांक: 10/06/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
3. अति० जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. श्री नन्जू कुमार मेहरानिया पुत्र श्री पूरनमल मेहरानिया, वार्ड नं० 14, अम्बेडकर कॉलोनी, नीमकाथाना, जिला सीकर
5. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जय/निर्णय/29883/डी/15 दिनांक 15.10.2015 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/सिस्टम टेनिसिस्ट कार्यालय/बीकानेर

बेब मर्टर पर क्रयलॉड करने बाबत

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर